EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1619—1630

Dated 24-12-2011

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 341.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, चिकित्सा काडर समूह 'घ' पद (योधक) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल में, कतिपय समूह 'ग' चिकित्सा काडर के योधक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, चिकित्सा काडर, समूह 'ग' पद (योधक) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे, जो पूर्वोक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) "शेप-I" से निम्नलिखित रूप से परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :—

(i) अक्षर शेप जो निम्नलिखित कार्य का द्योतक करता है, कोड द्वारा उपदर्शित दिए गए घटकों के अधीन अधिकारी की योग्यता निर्धारण करने के पश्चात्, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सीय वर्गीकरण :—

एस — मनोवैज्ञानिक

एच — श्रवणता

ए — परिशिष्टता

पी — शारीरिक क्षमता

ई — दृष्टि

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता का उल्लेख घटते कार्यात्मक दक्षता को उपदर्शित करते हुए प्रत्येक कोड अक्षर के सामने 1 से 5 अंक द्वारा किया जाएगा। अंकों को कोड अक्षर के बाद लिखा जाएगा, के सिवाय जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी-I, में है, वहां उसका प्रवर्ग एस$_1$ एच$_1$ ए$_1$ पी$_1$ ई$_1$ लिखने के बजाय शेप-I, लिखकर दर्शाया जा सकता है और इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन इस प्रकार है :—

(1) कहीं भी सभी प्रकार के कर्त्तव्यों के लिए योग्य।

(2) सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य किन्तु कर्त्तव्यों के प्रकार और इस आधार पर कि क्या कर्त्तव्य घोर दबाव या कान और आँख, दोनों की सुनने या देखने की तीव्र मांग का है, नियोजन के क्षेत्र से संबंधित सीमाएं लगायी जा सकती हैं।

(3) "एस" घटक के सिवाय, दैनिक या अभ्रमणशील कर्त्तव्यों के लिए योग्यता, किन्तु अत्यधिक शीत क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में, उच्च दाब (2,700 मीटर से ऊपर) और लम्बी अवधि की तैनाती के लिए नियोजन की सीमाएं हो सकती हैं।

(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्त्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(5) कर्त्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. अधिवर्षिता.—इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त व्यक्ति, उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु यदि किसी व्यक्ति की जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है तो उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, पहले वाले मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

8. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

9. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. (क) कांस्टेबल (मशालची)-22 (ख) कांस्टेबल (टेबल ब्वाय)-10 (ग) कांस्टेबल (वार्ड ब्वाय/वार्ड गर्ल/आया)-32 (घ) कांस्टेबल (कहार)-165	229* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है ।) (आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, (ख) (i) संबंधित ट्रेड में दो वर्ष के कार्य का अनुभव, या (ii) कम से कम एक वर्ष ट्रेड में कार्य करने का अनुभव सहित, किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या व्यावसायिक संस्थान से एक वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या (iii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड में या समरूप ट्रेड में दो वर्ष का डिप्लोमा । (ग) ट्रेड परीक्षण में अर्हित हो । **टिप्पण** : बहु कुशल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी । **शारीरिक मानदंड** **पुरुष अभ्यर्थियों के लिए :** (क) ऊँचाई : 167.5 सें.मी. (ख) छाती : 78 सें.मी. (फुलाने पर 83 सें.मी.) (ग) वजन : ऊँचाई और आयु के अनुपात में चिकित्सा मानदंड के अनुसार **महिला अभ्यर्थियों के लिए :** (क) ऊँचाई : 157 सें.मी. (ख) छाती : लागू नहीं (ग) वजन : ऊँचाई और आयु के अनुपात में चिकित्सा मानदंड के अनुसार **टिप्पण 1** : गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में रहने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सें.मी. और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सें.मी. न्यूनतम ऊँचाई होगी । अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162.5 सें.मी. और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सें.मी. होगी । **टिप्पण 2** : गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)	
राज्यों में रहने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 78 सें.मी. (5 सें. मी. फुलाव) और सभी अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 76 सें.मी. (5 सें.मी. फुलाव) के साथ होगी । **पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा मानदंड** (i) **दृष्टि**- दोनों आंखों की दूर की दृष्टि बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने न्यूनतम 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । (ii) उच्च दर्जे की कलर विजन जाँच में अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए । मिले हुए घुटने, सपाट तलवे या आँखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए । ऐसी कोई भी कमी या विकृति नहीं होनी चाहिए जिससे सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पड़ने की संभावना हो । (iii) शारीरिक क्षमता जाँच और चिकित्सा जाँच में अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए ।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा (जिसके अंतर्गत 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों में से भी हैं) **टिप्पण** : "कांस्टेबल (मशालची), कांस्टेबल (टेबल ब्वाय), आरक्षक (वार्ड ब्वाय)/वार्ड गर्ल/आया) तथा कांस्टेबल (कहार) के रैंक के पदों पर महिला अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या वर्षानुवर्ष के आधार पर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रकार्यात्मक अपेक्षा के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी ।"	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
चयन और पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल —अध्यक्ष 2. दो उप कमाण्डेंट या सहायक कमाण्डेंट सीमा सुरक्षा बल —सदस्य 3. एक चिकित्सा अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कांस्टेबल (चपरासी)	32* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण (केन्द्रीय सेवा), समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	18 से 23 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है ।) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और साईकिल चलाने का ज्ञान । **शारीरिक मानदंड** **पुरुष अभ्यर्थियों के लिए :** (क) ऊँचाई : 167.5 सें.मी. (ख) छाती : 78 सें.मी. (फुलाने पर 83 सें.मी.) (ग) वजन : ऊँचाई और आयु के अनुपात में चिकित्सा मानदंड के अनुसार **महिला अभ्यर्थियों के लिए :** (क) ऊँचाई : 157 सें.मी. (ख) छाती : लागू नहीं (ग) वजन : ऊँचाई और आयु के अनुपात में चिकित्सा मानदंड के अनुसार **टिप्पण 1** : गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में रहने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सें.मी. और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सें.मी. न्यूनतम ऊँचाई होगी । अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162.5 सें.मी. और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सें.मी. होगी । **टिप्पण 2** : गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा,	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)
मिजोरम, मेघालय, असाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में रहने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 78 सें.मी. (5 सें.मी. फुलाव) और सभी अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 76 सें.मी. (5 सें.मी. फुलाव) के साथ होगी । **पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा मानदंड :** (i) **दृष्टि**—दोनों आंखों की दूरी की दृष्टि बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने न्यूनतम 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । (ii) उच्च दर्जे की कलर विजन जाँच में अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए । मिले हुए घुटने, सपाट तलवे या आँखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए । ऐसी कोई भी कमी या विकृति नहीं होनी चाहिए जिससे सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पड़ने की संभावना हो । (iii) शारीरिक क्षमता जाँच और चिकित्सा जाँच में अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए ।

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** "कांस्टेबल (चपरासी), रैंक के पद पर महिला अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या वर्षानुवर्ष के आधार पर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रकार्यात्मक अपेक्षा के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी ।"	लागू नहीं होता

(12)	(13)
चयन तथा पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल —अध्यक्ष 2. दो उप कमाण्डेंट या सहायक कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल —सदस्य 3. एक चिकित्सा अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 17/68/2010-कार्मिक/सी.सु. बल]

नीरज कन्सल, निदेशक (कार्मिक)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2011

G.S.R. 341.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), and in supersession of the Ministry of Home Affairs, the Border Security Force, Medical Cadre, Group 'D' posts (Combatised), Recruitment Rules, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C', Medical Cadre, Combatised posts in the Border Security Force, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Border Security Force, Medical Cadre, Group 'C' Posts (Combatised), Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and the pay band and grade pay and pay scale.—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay and pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Medical Fitness. —(1) Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

(2) SHAPE-I means the Medical Category defined as under :—

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under the given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function :—

S	—	Psychological
H	—	Hearing
A	—	Appendages
P	—	Physical Capacity
E	—	Eye-Sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S_1 H_1 A_1 P_1 E_1 and the general evaluation of these numerals is as under :—

1. Fit for all duties anywhere.
2. Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears and eyes.
3. Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.
4. Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.
5. Permanent unfit for duties.

6. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Superannuation. —The personnel appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty-seven years :

Provided that a person whose date of birth is the first day of the month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month of attaining the age of fifty-seven years.

8. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. (a) Constable (Masalchi)-22 (b) Constable (Table Boy)-10 (c) Constable (Ward Boy/ Ward Girl/Aya)-32 (d) Constable (Kahar)-165	229* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	PB-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Between 18 and 23 years (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time). The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(a) Pass in Matriculation or equivalent from a recognised Board; (b) (i) two years work experience in respective trades; or (ii) one year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the trade; or (iii) two years Diploma from recognised Industrial Training Institute in the trade or similar trade. (c) Must qualify the trade test. **Note :** Multi-skilled candidates will be given preference.	Not applicable	Two years

(7)

Physical Standards :

For Male Candidates

(a)	Height	:	167.5 Cms
(b)	Chest	:	78 Cms (83 Cms after expension)
(c)	Weight	:	Proportionate to height and age as per medical standards

For Female Candidates

(a)	Height	:	157 Cms
(b)	Chest	:	Not applicable
(c)	Weight	:	Proportionate to height and age as per medical standards

Note 1 : The minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 165 Cms. for male and 155 Cms. for Females. The minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribes will be 162.5 Cms. for males and 150 Cms. for female.

Note 2 : The minimum chest for male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 78 Cms. (minimum 5 Cms. expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to Scheduled Tribes will be 76 Cms. (minimum 5 Cms. expansion).

Medical Standard for Male and Female :

(i) Vision.—Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(ii) Must pass high grade colour vision test. Must not have knock-knees, flat feet or squint in eyes. Must not have any defect or deformity which likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(iii) Must qualify the physical efficiency test and Medical examination.

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputatation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment (including 10% from amongst Ex-servicemen)	Not applicable

(10)
Note : "The number of vacancies for induction of female candidates in the rank of Constable (Masalchi), Constable (Table Boy), Constable (Ward Boy, Ward Girl/ Aya) and Constable (Kahar) shall be calculated on year to year basis by Director General Border Security Force on functional requirement basis".

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for selection and confirmation :— 1. Commandant, Border Security Force —Chairman 2. Two Deputy Commandants or Assistant Commandant, Border Security Force —Member 3. One Medical Officer, Border Security Force —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Constable (Peon)	32* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	PB-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Between 18 and 23 years (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
(a) Matriculation or equivalent from a recognised Board with knowledge of Cycling. **For Male Candidates** (a) Height : 167.5 Cms (b) Chest : 78 Cms (83 Cms after expension) (c) Weight : Proportionate to height and age as per medical standards **For Female Candidates** (a) Height : 157 Cms (b) Chest : Not applicable (c) Weight : Proportionate to height and age as per medical standards **Weight.**—Proportionate to height as per medical standard. **Medical Standard for Male and Female :** (i) Vision.— Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses). (ii) Must pass high grade colour vision test. Must not have knock-knees, flat feet or squint in eyes. Must not have any defect or deformity which likely to interfere with the efficient performance of the duties. (iii) Must qualify the physical efficiency test and Medical examination.	Not applicable	Two years

(10)	(11)
By direct recruitment **Note :** "The number of vacancies for induction of female candidates in the rank of Constable (Peon) shall be calculated on year to year basis by Director General Border Security Force on functional requirement basis".	Not applicable

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for selection and confirmation :— 1. Commandant, Border Security Force —Chairman 2. Two Deputy Commandants or Assistant Commandant, Border Security Force —Member 3. One Medical Officer, Border Security Force —Member	Not applicable.

[F. No. 17/68/2010-Pers./BSF]

NEERAJ KANSAL, Director (Personnel)

MGIPRRND—4648 IIA/11—350 Copies.